



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18454

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-2713 वर्ष 2026**

**चेतन वर्मा उर्फ जुगानू ..... आवेदक**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी**

**आवेदक के अधिवक्ता: आनंद मोहन राय**

**प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता**

**न्यायालय सं - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल**

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य के लिए श्री वीकेएस परमार, अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-430 वर्ष 2023 में धारा 302, 504 भ०द०वि०, थाना-रावतपुर, ज़िला: कानपुर नगर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने 25.12.2023 को शाम लगभग 7.00 बजे कुछ आभूषणों और घरेलू सामानों के वितरण पर हुए झगड़े को लेकर मृतक पर चाकू से वार किया था। मृतक की पत्नी उसे अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। प्राथमिकी में लगभग तीन घंटे की देरी हुई है और उक्त देरी के कारण कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक का उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। मामला अचानक उकसावे का है। आज तक किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। आवेदक 26.12.2023 से जेल में है, इस प्रकार उसकी कैद को लगभग दो साल बीत चुके हैं। यदि

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित एकमात्र आरोपी व्यक्ति है।

7. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्राथमिकी त्वरित है और आवेदक प्राथमिकी में एकमात्र नामित आरोपी व्यक्ति है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

8. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

**जनवरी 28, 2026**

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)